फर्द अहकाम

भौरीदेवी बनाम मुकेश सिंह

नाम न्यायालय SDO शाहपुरा

केस संख्या 46/2021 प्रा.पत्र O9 R13 CPC

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	20/7/22	उभय पक्ष उपस्थित / अभिभाषक ... ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा / P.O. साहब अन्य प्रशासनिक कार्य व्यस्त .... हैं। पत्रावली गत आदेशानुसार दि. 3/8 .... को पेश हो। (रीडर)	
	3.8.22	वकील उभय पक्ष हाजिर। वकील उभय पक्ष की बहस प्रा.पत्र O9 R13 CPC पर सुना गया बाद आदेशार्थ पत्रावली दिनांक 12/8/22 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान	
	12/8/22	पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण मुख्तसर रूप से इस न्यायालय के विचाराधीन राजस्व वाद संख्या 605/21 मुकेश सिंह V/S भौरी देवी में पारित आदेश 5.3.21 एकपक्षीय डिक्री के विरुद्ध यह प्रा.पत्र पेश किया गया है। वकील प्रार्थी ने प्रा.पत्र में जाहिर किया कि दिनांक 5.3.21 को प्रार्थीया का अधिवक्ता उपस्थित था लेकिन वकालतनामा पेश नहीं करने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर एकपक्षीय डिक्री कर दिया। वकील प्रार्थी ने अपने प्रा.पत्र में संक्षिप्त तथ्यों को दोहराते हुए बहस में जाहिर किया कि 5.3.21 को प्रार्थीया उसका अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं करने से वकालतनामा पेश नहीं हो सका तथा एक पक्षीय कार्यवाही कर प्रकरण में बंटवारा रिपोर्ट से एकपक्षीय डिक्री किया गया। बंटवारा रिपोर्ट में प्रार्थीया की आराजी में कांट छांट कर अप्रार्थी को भूमि दी गई है। चूंकि प्रार्थीया को समुचित सुनवाई का तथा पक्ष रखने का अवसर देना चाहिए था। इसलिए दिनांक 5.3.21 की एक पक्षीय कार्यवाही को अपास्त किये जाने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में जाहिर किया कि अप्रार्थी का 1/3 हिस्सा है जिसके बंटवारे के लिए वाद पत्र पेश किया है। प्रार्थीया की तरफ से अधिवक्ता ने पैरवी की है तथा नियमानुसार पेशी दी जाती है साथ ही प्रार्थीया का वकील पारित आदेश के समक्ष उपस्थित रहे हैं। चूंकि O9 R13 में आवश्यक शर्त है कि पक्षकार की अनुपस्थिति उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान	

फर्द अहकाम

मौसीदेवी **बनाम** मुकेश सिंह वगैरह

नाम न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा

केस संख्या 46/2021 प्रा.पत्र 09R13 CPC

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष टिप्पणी
	12/8/22	मे आदेश पारीत किया गया है यहां ऐसा नहीं होने से तथा प्रकरण मे दिनांक 25.03.21 को प्रार्थना 09R7 CPC पेश किया, जिस पर कोई आपत्ति नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रा.पत्र स्वीकार भी हो चुका है तथा प्रकरण मे अपना पक्ष अब रख सकते है। वकील प्रार्थी ने यह भी जाहिर किया कि प्रार्थीगण का अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश नहीं किया तथा प्रकरण मे उपस्थित रहे है जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगणों को प्रकरण की जानकारी रही है जबकि 09R13 सूचना की तामील नहीं होने पर लगाई है लेकिन यहां ऐसा नहीं है प्रार्थीगणों को प्रकरण की जानकारी रही है उनका अधिवक्ता उपस्थित होते रहे माना जाता है कि प्रकरण की जानकारी है। प्रकरण मे प्रार्थीगण अब भी अपना पक्ष रखने के लिए स्वतंत्र है तथा यदि प्रार्थीगण को कोई आपत्ति हो तो उन्हें अपील करनी चाहिए थी लेकिन जानबूझ कर विलम्ब करके यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जिसे खारिज करने हेतु निवेदन किया। हमने वकील उभय पक्ष की बहस पर ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों तथा मूल वाद पत्रावली का अवलोकन करने पर हम वकील प्रार्थी की बहस मे दिये गये तर्कों से सन्तुष्ट है तथा प्रकरण के प्रार्थी यह सिद्ध करने असमर्थ रहा है कि उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही से आदेश पारित किया गया है जबकि प्रार्थी वकील के द्वारा वकालतनामा जवाबदावा जानबूझ कर पेश नहीं करना पाया जाता है तथा प्रकरण मे प्रार्थीगण अब भी अपना पक्ष रख सकते हैं चूंकि मूलवाद मे एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 25.03.21 को अपास्त हो चुकी है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तकमील जमा होकर दाखिल दफ्तर हो तथा मूलवाद मे शामिल रहे। उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान	